

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 2435.34 | 2.88 | 2438.22 | 1396.09 | 13.04 | 1409.13 | 3721.17 | 15.83 | 3737.00 | 5378.08 | 20.00 | 5398.08 |
| <i>वसूलियां</i> | -14.96 | ... | -14.96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>प्राप्तियां</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 2420.38 | 2.88 | 2423.26 | 1396.09 | 13.04 | 1409.13 | 3721.17 | 15.83 | 3737.00 | 5378.08 | 20.00 | 5398.08 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 26.20 | ... | 26.20 | 32.76 | ... | 32.76 | 32.44 | ... | 32.44 | 73.03 | ... | 73.03 |
| 2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान | 272.98 | ... | 272.98 | 320.01 | ... | 320.01 | 289.12 | ... | 289.12 | 321.70 | ... | 321.70 |
| 3. <i>संबद्ध कार्यालय</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन | 51.09 | ... | 51.09 | 55.30 | ... | 55.30 | 58.21 | ... | 58.21 | 63.69 | ... | 63.69 |
| 3.02 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय | 332.65 | ... | 332.65 | 354.08 | ... | 354.08 | 376.73 | ... | 376.73 | 412.55 | ... | 412.55 |
| <i>जोड़- संबद्ध कार्यालय</i> | <i>383.74</i> | <i>...</i> | <i>383.74</i> | <i>409.38</i> | <i>...</i> | <i>409.38</i> | <i>434.94</i> | <i>...</i> | <i>434.94</i> | <i>476.24</i> | <i>...</i> | <i>476.24</i> |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 682.92 | ... | 682.92 | 762.15 | ... | 762.15 | 756.50 | ... | 756.50 | 870.97 | ... | 870.97 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) | 1108.16 | ... | 1108.16 | 20.10 | ... | 20.10 | 2633.50 | ... | 2633.50 | 3965.00 | ... | 3965.00 |
| 5. <i>क्षमता का विकास (सीडी)</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 क्षमता निर्माण सीएसओ और एनएसएसओ | 185.83 | 2.88 | 188.71 | 271.88 | 13.04 | 284.92 | 254.40 | 15.83 | 270.23 | 432.46 | 20.00 | 452.46 |
| 5.02 आर्थिक गणना | 451.76 | ... | 451.76 | 280.00 | ... | 280.00 | 64.77 | ... | 64.77 | 57.01 | ... | 57.01 |
| 5.03 सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता | 6.09 | ... | 6.09 | 33.44 | ... | 33.44 | 12.00 | ... | 12.00 | 52.63 | ... | 52.63 |
| <i>जोड़- क्षमता का विकास (सीडी)</i> | <i>643.68</i> | <i>2.88</i> | <i>646.56</i> | <i>585.32</i> | <i>13.04</i> | <i>598.36</i> | <i>331.17</i> | <i>15.83</i> | <i>347.00</i> | <i>542.10</i> | <i>20.00</i> | <i>562.10</i> |
| 6. भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम | ... | ... | ... | 28.52 | ... | 28.52 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 1751.84 | 2.88 | 1754.72 | 633.94 | 13.04 | 646.98 | 2964.67 | 15.83 | 2980.50 | 4507.11 | 20.00 | 4527.11 |
| केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 7. वास्तविक वसूलियां | -14.38 | ... | -14.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| कुल जोड़ | 2420.38 | 2.88 | 2423.26 | 1396.09 | 13.04 | 1409.13 | 3721.17 | 15.83 | 3737.00 | 5378.08 | 20.00 | 5398.08 |

| | वास्तविक 2020-2021 | | | बजट 2021-2022 | | | संशोधित 2021-2022 | | | बजट 2022-2023 | | |
|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 6.14 | ... | 6.14 | 7.49 | ... | 7.49 | 6.90 | ... | 6.90 | 7.54 | ... | 7.54 |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | 6.14 | ... | 6.14 | 7.49 | ... | 7.49 | 6.90 | ... | 6.90 | 7.54 | ... | 7.54 |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | 1108.16 | ... | 1108.16 | 20.10 | ... | 20.10 | 2633.50 | ... | 2633.50 | 3965.00 | ... | 3965.00 |
| 3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 20.06 | ... | 20.06 | 25.27 | ... | 25.27 | 25.54 | ... | 25.54 | 65.49 | ... | 65.49 |
| 4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 1300.40 | ... | 1300.40 | 1303.13 | ... | 1303.13 | 1033.07 | ... | 1033.07 | 1296.98 | ... | 1296.98 |
| 5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 2.88 | 2.88 | ... | 13.04 | 13.04 | ... | 15.83 | 15.83 | ... | 20.00 | 20.00 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 2428.62 | 2.88 | 2431.50 | 1348.50 | 13.04 | 1361.54 | 3692.11 | 15.83 | 3707.94 | 5327.47 | 20.00 | 5347.47 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 40.10 | ... | 40.10 | 22.16 | ... | 22.16 | 43.07 | ... | 43.07 |
| 7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | -14.38 | ... | -14.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | -14.38 | ... | -14.38 | 40.10 | ... | 40.10 | 22.16 | ... | 22.16 | 43.07 | ... | 43.07 |
| कुल जोड़ | 2420.38 | 2.88 | 2423.26 | 1396.09 | 13.04 | 1409.13 | 3721.17 | 15.83 | 3737.00 | 5378.08 | 20.00 | 5398.08 |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना खर्च के लिए है।

2. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान:** भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वतंत्र संस्थान है, को पूर्णतः सहायता अनुदान के तहत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

3. **संबद्ध कार्यालय:** मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं एवं एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, कार्यरत हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गैर-योजना खर्चों का प्रावधान है जो कि मानकीकरण, राष्ट्रीय लेख तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली कैटीन के खर्चों को भी वहन करती है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति में अनुसंधान सम्बन्धी भारतीय संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं सहायता अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गैर-योजना खर्चों का भी प्रावधान है जो कि आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक बुनियादी एवं समुचित रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों की एजेन्सीज की ओर से भी आंकड़ों के संग्रहण एवं सारणीयन का कार्य भी करता है।

4. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी):** यह प्रावधान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए है।

5. **क्षमता का विकास (सीडी):** क्षमता विकास अम्रेला योजना है जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ और अन्य दो उप-योजनाओं, आर्थिक गणना और सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहयोग की आवश्यकता को शामिल किया गया है।

6. **भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी गुणवत्ता विकास कार्यक्रम:** भारत में सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआईक्यूएसआई), जो कि एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, के लिए 1.00 लाख रुपये का टोकन प्रावधान किया गया है।